

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

शस्त्र वाद सं०- 99/2015

श्री मिथिलेश कुमार सिंह, पिता-श्री अशोक कुमार सिंह, मोहल्ला-बड़ा तेलपा, नई बस्ती,
थाना-छपरा नगर, जिला-सारण

| आदेश का क्रम-संख्या और तारीख। | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर। | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित |
|-------------------------------|---|---|
| 13.08.2015 | <p>यह वाद पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 21 गो०/, दिनांक 02.01.2015 के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन के साथ आवेदक श्री मिथिलेश कुमार सिंह, पिता श्री अशोक कुमार सिंह, मो०-बड़ा तेलपा, नई बस्ती, थाना- छपरा नगर, जिला-सारण के शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए संलग्न आवेदन के आलोक में प्रारंभ हुआ। इस न्यायालय के ज्ञापांक 521, दिनांक 04.08.2015 के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त है।</p> <p>दिनांक 13.08.2015 को आवेदक से हाजरी प्राप्त। आवेदक उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे बालू गिट्टी का व्यवसाय, ठिकेदारी एवं संवेदक का कार्य करते हैं। अपने काम की वजह से उनके जान माल पर हमेशा खतरे की आशंका बनी रहती है। अतः उनके द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।</p> <p>आवेदक को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिशीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 21 गो०/, दिनांक 02.01.2015 के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन में थानाध्यक्ष, छपरा नगर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक को उनकी जान माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की अनुज्ञप्ति दी जा सकती है।</p> <p>थानाध्यक्ष, छपरा नगर के द्वारा अपने उक्त प्रतिवेदन में आवेदक के साथ किसी प्रकार की घटना के धटित होने का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही, पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के द्वारा भी आवेदक के आवेदन एवं अन्य कागजातों को संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के द्वारा आवेदक को शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की स्पष्ट अनुशंसा नहीं की गई है। इस तरह आवेदक के जान माल पर खतरे की आशंका की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही है।</p> <p>अतः भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-शस्त्र, दिनांक 31-03-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक</p> | |

(Handwritten signature)

7/अनु0-10-25/2010 गृह आरक्षी 3026, दिनांक 13.04.2010 के द्वारा प्रेषित है, के आलोक में आवेदक श्री मिथिलेश कुमार सिंह, पिता श्री अशोक कुमार सिंह, मो0-बड़ा तेलपा, नई बस्ती, थाना- छपरा नगर, जिला-सारण के जान माल पर खतरे की कोई स्पष्ट आशंका न पाकर आवेदक के द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति के लिए दाखिल आवेदन पत्र दिनांक 23.12.2008 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 2250/न्या0, दिनांक 22/8/15

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा, सारण, छपरा को आंभलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

22/8/15